माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक :925 / प्रशा0 / MSU / 2026–27 दिनांकः 13.11.2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः– विश्वविद्यालय के समस्त शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर–रेंजर्स की पंजीकरण धनराशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय डॉ० जय सिंह, सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास / 34031 / 2022–23 दिनांक 14.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर–रेंजर्स कोष का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा 50=00 रु० की धनराशि में से विश्वविद्यालय के रोवर्स–रेंजर्स कोष में जमा कराना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत सरकार और गाइड उत्तर प्रदेश के पत्रांक–सी०जी०–105 / 172 / 202 दिनांक 30.04.2022 द्वारा समस्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को भारत स्काउट और गाइड मुख्यालय नई नई दिल्ली द्वारा भारत स्काउट और गाइड के नियम संख्या 90 के अन्तर्गत जिला संस्था का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक छात्र / छात्राओं से वार्षिक 50 / – रु० की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्नानुसार वितरण किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

01. विश्वविद्यालय कैम्पस / महाविद्यालय स्तर 50% (रू025 / – छात्र / छात्रा)
02. विश्वविद्यालय जिला संस्थान 20% (रू010 / – छात्र / छात्रा)
03. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 30% (रू015 / – छात्र / छात्रा)

अतः आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों से रोवर्स–रेंजर्स शुल्क को विश्वविद्यालय के रोवर्स–रेंजर्स कोष में उपलब्ध कराने हेतु सभी महाविद्यालयों / संस्थाओं / ऑटोनॉमस संस्थाओं द्वारा निम्न खाते में जमा करने का कष्ट करें।

Bank Name- Indian Overseas Bank
Account No- 106301000064451
IFSC Code-IOBA0001063

भवदीय

13-11-26

कुलसचिव
(कमल कृष्ण)

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. जिला मुख्यायुक्त, रोवर रेजर्स, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
03. वित्त अधिकारी।
04. गार्ड फाईल।

सहायक कुलसचिव